



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2023-01885

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य

श्री अक्षत तिवारी, पिता—श्री प्रदीप तिवारी,
निवासी—प्लॉट नं.—142, स्ट्रीट नं.—जे—50,
मकान नं.—एफ00660, बी.एल.एम. इंग्लिश स्कूल के पास,
ओम सोसायटी, रायपुर (छ.ग.)

आवेदक

विरुद्ध

मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डकॉन,
डायरेक्टर—श्री सुबोध सिंघानिया,
निवासी—तृतीय एवं चतुर्थ तल,
श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड, रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक

उपस्थिति :-

- (1) श्री अभिषेक अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।
- (2) श्री अभिनव कार्डेकर, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“हर्षित नियो सिटी”, ग्राम—अमलेश्वर, दुर्ग)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA070718000496

आदेश

(दिनांक—28 / 07 / 2023)

आवेदक श्री अक्षत तिवारी, पिता—श्री प्रदीप तिवारी, निवासी—प्लॉट नं.—142, स्ट्रीट नं.—जे—50, मकान नं.—एफ00660, बी.एल.एम. इंग्लिश स्कूल के पास, ओम सोसायटी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि उसने अनावेदक के प्रोजेक्ट “हर्षित नियो सिटी” ग्राम—अमलेश्वर, जिला—दुर्ग (छ.ग.) में भूखण्ड क्रमांक—सी—19 को रूपये 19,41,000/- में क्रय कर दिनांक 28.10.2021 को रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया।

क्रय करने के पूर्व निरीक्षण के दौरान सेल्स एजेंट व साईट इंजीनियर श्री गुंजन द्वारा प्रोजेक्ट के ब्रोशर में दर्ज सुविधाओं जैसे—सड़क, बिजली, पानी, गार्डन आदि

की जानकारी दी गई। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के ब्रोशर में भूखण्ड क्रमांक-सी-9 से सी-20 के सामने 25 फीट चौड़ी सड़क स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। परन्तु वर्तमान में भूखण्ड के सामने 25 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनावेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग द्वारा स्वीकृत ले-आउट अनुरूप 25 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनावेदक द्वारा भूखण्ड क्रमांक-सी-20 के क्रेता द्वारा सड़क पर किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण की अनदेखी व ब्रोशर तथा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत ले-आउट के विपरीत किये जा रहे निर्माण को मौन सहमति दिया गया है। अनावेदक द्वारा भूखण्ड क्रमांक-20 व उस पर किया गया अनाधिकृत निर्माण भूखण्ड क्रमांक-सी-19 के दक्षिण में स्थित है। अतः उनके द्वारा किया गया अनाधिकृत निर्माण स्थायी एवं भिन्न-भिन्न प्रकार की परेशानियों का कारण बन गया है। चूँकि प्रश्नाधीन भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 25 फीट न होकर बहुत कम है। अतः निरंतर वाद-विवाद की स्थिति बनी रहेगी। आवेदक द्वारा अप्रैल, 2022 से अब तक फोन के माध्यम से सिंघानिया बिल्डकॉन के ऑफिस में श्री भावेश मोटवानी से मिलकर उक्त शिकायत के निराकरण हेतु लगातार निवेदन रहा है और श्री भावेश मोटवानी के सुझाव पर अनावेदक को उक्त शिकायत के निराकरण हेतु फरवरी, 2023 में 4 बार (दिनांक 02.02.2023, 07.02.2023, 13.02.2023 एवं 20.02.2023) ई-मेल के माध्यम से शिकायत के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु अनावेदक द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अनावेदक द्वारा सिर्फ समय व्यतीत करना चाहता है और अनावेदक द्वारा उल्लेखित सुविधाओं को पूर्ण रूप से प्रदान करने में असमर्थ रहा है। प्रोजेक्ट में हो रहे अनाधिकृत निर्माण पर मौन धारण किये हुये हैं। अतः आवेदक द्वारा ब्रोशर व स्वीकृत ले-आउट में दर्शायी गई सुविधा प्रदान अनावेदक को निर्देशित किये जाने तथा अनाधिकृत निर्माण के संबंध में अनावेदक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदक द्वारा अनावेदक से भुगतान की गई राशि मय ब्याज वापस दिलाया जाए तथा वर्तमान बाजार मूल्य रूपये 1550 प्रति वर्गफीट या इससे अधिक भाव पर दिलाया जाए। आवेदक ने वाद व्यय दिलाया जाए, अन्य राहत प्रदान करने तथा उपरोक्त के उल्लंघन हेतु अनावेदक पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, कि प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की शिकायत की गई है, आवेदक द्वारा क्रय

किये गये भूखण्ड के पुनः विक्रय करने की माँग की गई है साथ ही साथ क्षतिपूर्ति मुआवजा की माँग धारा-31 के तहत की गई है, अनावेदक द्वारा शिकायतों को अस्वीकार किया गया। अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि हर्षित नियो सिटी पूर्ण परियोजना है, अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग से दिनांक 21.11.2022 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है, शिकायतकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई है, रेरा पोर्टल पर भी यह प्रोजेक्ट पूर्ण दिख रहा है, प्रोजेक्ट अभिन्यास के अनुसार स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पूर्ण किया गया है, प्रोजेक्ट पूर्ण होने के कारण शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है, अनावेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा भूखण्ड को आवेदक को हस्तांतरित किया जा चुका है, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 2016 में पुनः विक्रय की अनुमति दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, अधिनियम की धारा-19 में आंबटितियों का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रमोटर को पुनः विक्रय करने का प्रावधान नहीं है, अतः आवेदन निरस्ती योग्य है। प्रोजेक्ट में 50 अन्य आंबटिती निवास कर रहे हैं, किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदन में धारा-31 के अधीन आवेदक द्वारा मुआवजा की माँग की गई है। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मुआवजा के संबंध में आवेदन धारा-71 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उपर्युक्त आधारों पर आवेदन निरस्ती योग्य है।

4. आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर में लेख किया है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 21.11.2022 को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। आवेदक ने अनावेदक द्वारा दिये गये जवाब से इंकार करता है और कथन करता है कि आवेदक को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्त है। अनावेदक को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो जाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट हर्षित नियो सिटी को नियमानुसार पूर्ण किया है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में मूल तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का दुष्प्रयास किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जवाब के माध्यम से अनावेदक माननीय आयोग के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से माननीय आयोग का ध्यान दूसरी दिशा में विकेंद्रित करना चाहता है। छ.ग. रेरा के वेबपोर्टल में प्रोजेक्ट हर्षित नियो सिटी के पूर्ण होने के दर्शित होने से अनावेदक द्वारा किये गये नियमों के उल्लंघन से वह अपने आप को सही साबित कर सकता है। अनावेदक के हर्षित नियो सिटी के सी-ब्लॉक का आखिरी सरहद तथा स्वीकृत ले-आउट में वर्णित एवं दर्शित 7.5 मीटर (25 फीट चौड़ा) का रास्ता है, जो उस सरहद में आकर खत्म होता है, जिसे तकनीकी भाषा में (cul-de-sac) कहा जाता है और उसके पश्चात् ग्रीन अर्थ

कॉलोनी बाउंड्री स्थित है। अनावेदक द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट इंकार किया है कि 50 रहवासियों द्वारा अनावेदक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि 51वें नंबर के रहवासी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। अनावेदक ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत सारहीन शिकायत को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य का उल्लेख किया है।

आवेदक ने अतिरिक्त कथन करते हुये लेख किया है कि अनावेदक द्वारा किया गया कृत्य न केवल नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के नियमों के विपरीत है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत भू-अभिन्यास की साक्षात अवहेलना है, जिसके लिये अनावेदक के पक्ष में स्वीकृत भू-अभिन्यास का निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायिक होगा। आवेदक ने विनम्र निवेदन किया है कि उपरोक्त उल्लेखित सभी तथ्यों की जांच माननीय आयोग नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग के अधिकारियों से करा सकती है, जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा अभिन्यास स्वीकृति के पश्चात् उसका नियमानुसार सीमांकन सत्यापन ग्राम तथा नगर निवेश द्वारा नहीं कराया गया है। अतः आवेदक ने माननीय प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि माननीय प्राधिकरण के अधिकारियों से निरीक्षण कराने तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग के अधिकारियों व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाटन, दुर्ग एवं अन्य विभाग/अधिकारी की उपस्थिति में प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट "हर्षित नियो सिटी" अम्लेश्वर का स्थल निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराये जाने का अनुरोध किया है।

5. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदक के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन करने उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के निम्नानुसार बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं :-
 1. क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन/शिकायत प्राधिकरण के विचारण क्षेत्राधिकार अंतर्गत है ?
 2. क्या आवेदक को वांछित अनुतोष या अन्य किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो उसका स्वरूप किस प्रकार होगा ?
6. **विनिश्चय के बिन्दु क्रमांक-1 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है कि वह अनावेदक के प्रोजेक्ट का आबंटिती है, अनावेदक प्रमोटर है, अनावेदक के प्रोजेक्ट "हर्षित नियो सिटी" ग्राम-अमलेश्वर, जिला-दुर्ग में उसके द्वारा भूखण्ड क्रमांक सी-19, 1500 वर्गफीट क्रय किया गया। आवेदक को दिखाये गये ब्रोशर में सी-19 से सी-20 के सामने 25 फीट सड़क दर्शायी गई है। भूखण्ड के सामने 25 फीट सड़क उपलब्ध नहीं है। सी-20 के क्रेता द्वारा सड़क पर पक्का निर्माण कर लिया गया है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कई

बार अनावेदक को सूचित किया गया। किंतु अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदक द्वारा यह माँग की गई है कि उसके भूखण्ड के सामने 25 फीट की सड़क उपलब्ध कराई जाए अथवा अनावेदक उससे भूखण्ड वापस क्रय करें और क्षतिपूर्ति मुआवजा मानसिक परेशानी के कारण प्रदान किया जाए।

अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई है कि “हर्षित नियो सिटी” पूर्ण परियोजना है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग से दिनांक 21.11.2022 को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण-पत्र को चुनौती नहीं दी गई है। रेरा वेबपोर्टल पर भी यह प्रोजेक्ट पूर्ण दिख रहा है। प्रोजेक्ट अभिन्यास के अनुसार स्पेशिफिकेशन के अनुरूप पूर्ण किया गया है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के कारण शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय-विलेख के द्वारा भूखण्ड को आवेदक को हस्तांतरित किया जा चुका है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में पुनः विक्रय की अनुमति दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की धारा-19 में आंबटितियों का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रमोटर को पुनः विक्रय करने का प्रावधान नहीं है, अतः आवेदन निरस्ती योग्य है। आवेदन में धारा-31 के अधीन आवेदक द्वारा मुआवजा की माँग की गई है। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मुआवजा के संबंध में आवेदन धारा-71 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त आधारों पर आवेदन निरस्ती योग्य है।

यद्यपि अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, किंतु अनावेदक द्वारा इस बात को अस्वीकार नहीं किया गया है, कि आवेदक के भूखण्ड के सामने 25 फीट की सड़क उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया गया है कि ब्रोशर में 25 फीट की सड़क दर्शित की गई है। चूँकि 25 फीट की सड़क दर्शित की गई है एवं आंबटिती को भूखण्ड के समक्ष नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत एवं ब्रोशर में दर्शित 25 फीट की सड़क उपलब्ध नहीं कराई गई है। सी-20 भूखण्ड के सामने निर्माण कार्य हो गया है, जिससे सड़क थू नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक की शिकायत के लिए वाद कारण जीवित है। अधिनियम की धारा-14(1) का प्रावधान निम्नानुसार है:- “संप्रवर्तक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुमोदित अभिन्यास रेखांकों तथा मंजूरों रेखांको, विनिर्देशों के अनुसार विकास किया जाएगा” और उसे पूरा किया जाएगा और अधिनियम की धारा-14(2) के अधीन “किसी विधि, संविदा या करार में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भूखण्ड या भवन के मंजूर रेखांक, अभिन्यास, रेखांक और विनिर्देशों तथा फिक्सचरों, फिटिंगों, सुख-सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों को उस व्यक्ति को,

जिसने यथास्थिति, उक्त एक या अधिक अपार्टमेंट, भूखण्ड या भवन को लेने का करार किया है। प्रकट करने या प्रस्तुत करने के पश्चात संप्रवर्तक— (i) यथास्थिति, अपार्टमेंट, भूखण्ड या भवन के संबंध में ऐसे मंजूर रेखांकों, अभिन्यास रेखांको और विनिर्देशों और उनमें वर्णित फिक्सचरों, फिटिंगों और सुख-सुविधाओं में, जिनको किए जाने का करार किया गया है। उस व्यक्ति को पूर्व सहमति के बिना परिवर्धन और फेरफार नहीं करेगा: परंतु संप्रवर्तक ऐसे गौण परिवर्धन या फेरफार, जिनकी आबंटिती द्वारा अपेक्षा की जाए या ऐसे गौण परिवर्तन या फेरफार, जो किसी प्राधिकृत वास्तुविद् या इंजीनियर द्वारा सिफारिश किए गए और सत्यापित स्थापत्य और अवसंरचनात्मक कारणों से आवश्यक हो, आबंटिती समुचित घोषणा और आबंटितियों को संसूचना देने के पश्चात् कर सकेगा।” उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत रेखांक/अभिन्यास अनुसार आवेदक के भूखण्ड के समक्ष 25 फीट की सड़क उपलब्ध कराने का दायित्व संप्रवर्तक का था जो उपलब्ध नहीं कराया गया है; अतः वाद कारण जीवित है। अधिनियम की धारा-34(f) के अधीन “इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन संप्रवर्तकों, आबंटितियों और भू-संपदा अभिकर्ताओं पर अधिरोपित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना” प्राधिकरण का कर्तव्य है, अस्तु आवेदक का आवेदन प्राधिकरण के समक्ष विचारण योग्य है एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। अनावेदक की यह आपत्ति आंशिक रूप से ग्राह्य योग्य है, कि मुआवजे की माँग धारा-31 के अधीन नहीं की जा सकती है। अपितु इसके लिये आवेदन धारा-71 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। अतः मुआवजा के संदर्भ में आवेदक द्वारा याचित अनुतोष पर विचारण नहीं किया जा रहा है।

7. **विनिश्चय के बिन्दु क्रमांक-2 के विनिश्चयन का आधार :-** अनावेदक संप्रवर्तक है। अनावेदक अधिनियम की धारा-14 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास अनुसार 25 फीट की सड़क उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः धारा 14 एवं 12 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, धारा-12 के प्रावधान अनुसार “यदि सूचना विज्ञापन में गलत मिथ्या कथन द्वारा व्यथित व्यक्ति प्रस्तावित परियोजना से अपना नाम वापिस लेना चाहता है तो उससे समस्त विधान राशि ब्याज सहित ऐसी दर पर जो विहित की जाए लौटाया जाएगा।”

आवेदक द्वारा सी-20 के समक्ष हो रहे निर्माण कार्य जिससे रास्ता के ऊपर अतिक्रमण होना दर्शित है, जो कि संलग्न फोटोग्राफ्स से भी स्पष्ट हो जा रहा है। अनावेदक द्वारा स्वतः निर्माण कार्य को दिनांक 14.06.2023 की सुनवाई में स्वीकार किया गया है, को लेकर लगातार अनावेदक से शिकायत की गई, किंतु अनावेदक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे संप्रवर्तक की

उदासीनता एवं लापरवाही एवं चूक की पुष्टि होती है। अतः आवेदक अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता रखता है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-
 1. अनावेदक, आवेदक की सहमति से दो माह के भीतर अन्य कोई भूखण्ड उपयुक्त स्थान पर समान क्षेत्रफल का इसी प्रोजेक्ट में आवेदक को उपलब्ध कराए, जिसका रजिस्ट्री शुल्क अनावेदक द्वारा वहन किया जायेगा, साथ ही आवेदक द्वारा भूखण्ड क्रमांक सी-19 के विक्रय-विलेख का समर्पण अनावेदक के पक्ष में करेगा, जिसका रजिस्ट्री शुल्क भी अनावेदक द्वारा ही देय होगा।

अथवा

अनावेदक, आवेदक के भूखण्ड की विक्रय-विलेख की राशि रूपये 19,41,000/- मय ब्याज दिनांक 28.10.2021 से दिनांक 31.07.2023 तक अर्थात् 01 वर्ष 09 माह के लिये ब्याज 8.70%+ 2% (भारतीय स्टेट बैंक के उच्चतम मार्जिनल ब्याज दर)=10.70% की दर से रूपये 3,63,452/- अर्थात् रूपये कुल रूपये 23,04,452/- आवेदक को दो माह के भीतर करे साथ ही साथ समय पर आवेदक, अनावेदक के पक्ष में भूखण्ड सी-19 अनावेदक के पक्ष में समर्पित करें।

2. अनावेदक, सी-19 भूखण्ड के समक्ष 25 फीट चौड़ाई की सड़क तीन माह के भीतर निर्माण करें तथा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।
3. सी-20 भूखण्ड के समक्ष नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्वीकृति के विरुद्ध हुये निर्माण के कार्यवाही के लिये रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सक्षम प्राधिकारी को समुचित कार्यवाही हेतु लेख किया जाए।

सही / -
(धनंजय देवांगन)
सदस्य

सही / -
(संजय शुक्ला)
अध्यक्ष